



# मोदी, अमित शाह व राहुल गांधी के चुनावी भाषणों के खिलाफ काफी शिकायतें

चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को सोमवार एक बजे तक का समय दिया, इन शिकायतों पर जवाब मांगा

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-

नई दिल्ली, 16 नवम्बर। भारतीय चुनाव आयोग, झारखंड को लेकर भाजपा व कांग्रेस की झारखंड महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी, गुह मंत्री अमित शाह तथा कांग्रेस द्वारा दर्ज शिकायतों को गई शिकायतों की जांच कर रहा है।

महाराष्ट्र तथा झारखंड में चल रहे

विधानसभा चुनावों में इलेक्शन

कमिशन ऑफ इंडिया (ई.सी.आई.) ने

भाजपा तथा कांग्रेस द्वारा दर्ज शिकायतों का संज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष जे.पी. नड्डा तथा कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गो को अलग-अलग भेजे गए पर में चुनाव आयोग ने दोनों दलों द्वारा लगाए गए ओपरेशनों पर औपचारिक बताया गया है।

आयोग ने सोमवार 18 नवम्बर को

दोपहर एक बजे तक जवाब देने को

कहा है और दोनों दलों को, लोकसभा

चुनावों के दौरान, 22 मई, 2024 को

जारी की गई अपनी नारा वाद की याद

दिलाई है, जिसमें प्रचारकों से शिकायत

बताने तथा आदर्श आचार संहिता का

पालन करने का आग्रह किया गया है।

केंटीय मंत्री अर्जुन राम मेहरावल

के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने

नई दिल्ली में ई.सी.आई.

से जांच करने का अनुरोध किया

है। आयोग ने सोमवार 18 नवम्बर को

दोपहर एक बजे तक जवाब देने को

कहा है और दोनों दलों को, लोकसभा

चुनावों के दौरान, 22 मई, 2024 को

जारी की गई अपनी नारा वाद की याद

दिलाई है, जिसमें प्रचारकों से शिकायत

बताने तथा आदर्श आचार संहिता का

पालन करने का आग्रह किया गया है।

केंटीय मंत्री अर्जुन राम मेहरावल

के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने

नई दिल्ली में ई.सी.आई.

से जांच करने का अनुरोध किया

है। आयोग ने सोमवार 18 नवम्बर को

दोपहर एक बजे तक जवाब देने को

कहा है और दोनों दलों को, लोकसभा

चुनावों के दौरान, 22 मई, 2024 को

जारी की गई अपनी नारा वाद की याद

दिलाई है, जिसमें प्रचारकों से शिकायत

बताने तथा आदर्श आचार संहिता का

पालन करने का आग्रह किया गया है।

केंटीय मंत्री अर्जुन राम मेहरावल

के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने

नई दिल्ली में ई.सी.आई.

से जांच करने का अनुरोध किया

है। आयोग ने सोमवार 18 नवम्बर को

दोपहर एक बजे तक जवाब देने को

कहा है और दोनों दलों को, लोकसभा

चुनावों के दौरान, 22 मई, 2024 को

जारी की गई अपनी नारा वाद की याद

दिलाई है, जिसमें प्रचारकों से शिकायत

बताने तथा आदर्श आचार संहिता का

पालन करने का आग्रह किया गया है।

केंटीय मंत्री अर्जुन राम मेहरावल

के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने

नई दिल्ली में ई.सी.आई.

से जांच करने का अनुरोध किया

है। आयोग ने सोमवार 18 नवम्बर को

दोपहर एक बजे तक जवाब देने को

कहा है और दोनों दलों को, लोकसभा

चुनावों के दौरान, 22 मई, 2024 को

जारी की गई अपनी नारा वाद की याद

दिलाई है, जिसमें प्रचारकों से शिकायत

बताने तथा आदर्श आचार संहिता का

पालन करने का आग्रह किया गया है।

केंटीय मंत्री अर्जुन राम मेहरावल

के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने

नई दिल्ली में ई.सी.आई.

से जांच करने का अनुरोध किया

है। आयोग ने सोमवार 18 नवम्बर को

दोपहर एक बजे तक जवाब देने को

कहा है और दोनों दलों को, लोकसभा

चुनावों के दौरान, 22 मई, 2024 को

जारी की गई अपनी नारा वाद की याद

दिलाई है, जिसमें प्रचारकों से शिकायत

बताने तथा आदर्श आचार संहिता का

पालन करने का आग्रह किया गया है।

केंटीय मंत्री अर्जुन राम मेहरावल

के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने

नई दिल्ली में ई.सी.आई.

से जांच करने का अनुरोध किया

है। आयोग ने सोमवार 18 नवम्बर को

दोपहर एक बजे तक जवाब देने को

कहा है और दोनों दलों को, लोकसभा

चुनावों के दौरान, 22 मई, 2024 को

जारी की गई अपनी नारा वाद की याद

दिलाई है, जिसमें प्रचारकों से शिकायत

बताने तथा आदर्श आचार संहिता का

पालन करने का आग्रह किया गया है।

केंटीय मंत्री अर्जुन राम मेहरावल

के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने

नई दिल्ली में ई.सी.आई.

से जांच करने का अनुरोध किया

है। आयोग ने सोमवार 18 नवम्बर को

दोपहर एक बजे तक जवाब देने को

कहा है और दोनों दलों को, लोकसभा

चुनावों के दौरान, 22 मई, 2024 को

जारी की गई अपनी नारा वाद की याद

दिलाई है, जिसमें प्रचारकों से शिकायत

बताने तथा आदर्श आचार संहिता का

पालन करने का आग्रह किया गया है।

केंटीय मंत्री अर्जुन राम मेहरावल

के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने

नई दिल्ली में ई.सी.आई.

से जांच करने का अनुरोध किया

है। आयोग ने सोमवार 18 नवम्बर को

दोपहर एक बजे तक जवाब देने को

कहा है और दोनों दलों को, लोकसभा

&lt;p













# प्रवासी राजस्थानियों ने दुनियाभर में फैलाई राजस्थान की खुशबू - भजनलाल

मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के चुनावी दौरे में यह भी कहा कि प्रवासी राजस्थानी सामाजिक सरोकार में सबसे आगे हैं

मलाड/महाराष्ट्र, 16 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दूर, मुंबई के मलाड (पश्चिम) में आयोजित राजस्थानी समाज सम्मेलन को सम्बोधित किया। इहाँने मलाड पश्चिम से महायुत के प्रत्याशी विनोद शेलार को समर्थन देकर विजयी बनाने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि कांग्रेस संघान की छात्र और लूट की दुकान खोल देती है। उन्हें न तो राज्य और राष्ट्र से प्रेम है, और न ही जनता के हितों से कोई सरोकार। उन्होंने कहा कि खारी की भावना से ओतप्रत कांग्रेस और इनके सहयोगियों में गठबंधन नहीं, ठगबंधन की स्थिति है। ये लोगों ने विकास की बात नहीं करते। महाराष्ट्र की जनता अब इनके द्वारा कोई समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दूर

■ मुख्यमंत्री ने मुम्बई के मलाड (पश्चिम) में महायुत प्रत्याशी के समर्थन में राजस्थानी समाज सम्मेलन को सम्बोधित किया।

मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस की छात्र और लूट की दुकान बंद हो गई है। जनता जनती है कि विकास केवल मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। लोगों में भजपा के प्रति अति उत्साह और उत्तम है तथा महायुत के बहुत बड़े बहुमत के साथ महायुत की सरकार बोर्गी।

शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने सिंचनशिप अमेरिका एवं एक तथा दिपल तलाक समाप्त करने का विरोध किया और जब महायुत सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदल कर छत्रपति संभाजी नगर रखा, तब भी महायुत का अवधारणा अवधारणा इसका विरोध करते रहे। कांग्रेस केवल दोनों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया। तुषीकण की राजनीति करती है। इहाँ राष्ट्र को आगे बढ़ाने की प्रेणा हमें इही महापुरुषों से मिलती है।

उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने भी अपनी कम्पनी के अपना काम दम पर राजस्थान की मिट्टी की खुशबू सरकार महाराष्ट्र के सपनों को साकार



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब का मानद सदस्य बनाकर सम्मानित किया गया। समारोह में को-फ्री मंत्री पीयूष गोयल, पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन, सांसद राजेन्द्र गहलोत तथा राजस्थान के मुख्य सचिव जगेश्वर गर्ग मौजूद थे।

पी.एम. किसान सम्मान निधि, पूरे विश्व भर में फैलाई है। सामाजिक प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना, सरोकार के काम में राजस्थानी सबसे आगे रहते हैं। याकूब बनाने का काम हो या भवितव्य के जीर्णांगार का अध्यावायापर में पहचान बनाने का, मारवाड़ियों ने अपने कर्म से ही हर क्षेत्र में अपनी साख बनाई है।

मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों को 9 से 11 दिसंबर तक राजस्थान में आयोजित होने वाले "राजस्थान राइजिंग समिट" के लिए आंतरिक करारे हुए कहा कि वे राजस्थान में निवेश करें, उनके लिए राजस्थान के द्वारा समेश खुले हैं। राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों से आवाहन किया कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और समाज को समर्थन बनाने के दिये हैं। शर्मा ने कहा कि राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र प्रताप ही या छत्रपति शिवाजी, दोनों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया। राष्ट्र को आगे बढ़ाने की प्रेणा हमें इही महापुरुषों से मिलती है।

उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने भी अपनी कम्पनी के बाबत देखा जा रहा है कि वे राजस्थान में निवेश करें, उनके लिए राजस्थानी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने भी अपनी कम्पनी के बाबत देखा जा रहा है कि वे राजस्थान में निवेश करें, उनके लिए एक जुट होकर महायुत को बोट देखा जा रहा है। जनता के समर्थन से डबल ईंजन की उपलब्ध कराना है।

'आयुर्वेद डॉक्टर भी 62 वर्ष तक सेवा में रह सकते हैं'

जयपुर, 16 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एलोरेंची डॉक्टर्स की तरह आयुर्वेद डॉक्टर्स को भी 62 साल की उम्र पूरी होने तक सेवा में बने रहने का हकदार माना है। जरिस इन्जीनीय सिंह व वी.वी.के.

भारतवानी की खंडपीठ ने यह आदेश आयुर्वेद डॉक्टर प्रभुवाल शर्मा की खिलाफ राज्य सरकार की वैधभावपूर्ण कार्रवाई को जुनौती दी थी। याचिकाकर्ता को ओर से अधिकारित विजय पाठक के बताया कि वह बारं जिसे विशेष आयुर्वेद डॉक्टर के पद पर कार्रवाई की तरफ लोकनन पुरी समीकरण कोर्ट के आदेश होने के बाद भी, उसे 31 अक्टूबर को 60 साल की आयु पूरी होने पर ही रिटायर कर दिया, जबकि उसने विभाग में प्राथमिक पूरी साल से रखने का एक विवरण दिया था, लेकिन सुप्रीम कर्मसुख विवरण के आदेश होने के बाद भी, उसे 62 साल तक सेवा में रखे।

सरकार के पद पर कार्रवाई की तरफ लोकनन समीकरण कोर्ट के लिए सिवारिशें भी देगी। शासन की ओर से सात दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है।

सरकार के प्रत्येक विवरण को निर्वेश दिए जाएं कि वह उसे 62 साल तक सेवा में रखे।

याचिकाकर्ता में कहा गया कि राज्य सरकार

ने प्राथमिक पूरी साल में ही रिटायर कर दिया है, इस अवसर पर विजय कार्रवाई का काम कर रहा है। इसलिए आयुर्वेद विभाग को निर्वेश दिए जाएं कि वह उसे 62 साल तक सेवा में रखे।

याचिकाकर्ता में कहा गया कि राज्य सरकार

ने प्राथमिक पूरी साल में ही रिटायर कर दिया है, इस अवसर पर विजय कार्रवाई का काम कर रहा है। इसलिए प्राथमिक को भी 62 साल की उम्र पूरी होने पर तक सेवा में रखने का अधिकार दिया गया है।

सरकार के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है।